5 रु. भारत पाँच रुपये FIVE RUPEES INDIA Rs.5

(15)

न्यायालय श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, राजस्व मण्डल ग्वालियर, कैम्प भोपाल

निगरानी - 5240/2018/राजगढ़/भू.रा.

प्रकरण क्रमांक : ....

1/ भागीरथ आत्मज गंगाधर, वयस्क
2/ शिवनारायण आत्मज गंगाधर, वयस्क
3/ आत्माराम आत्मज गंगाधर, वयस्क
समस्त निवासी – ग्राम कुरावर,
तहसील नरसिंहगढ़, जिला राजगढ़ .... प्रार्थीगण

विरूद्ध

1/ मांगीलाल आत्मज गोपीलाल, वयस्क
2/ सीमारात आत्मजा गोपीलाल, वयस्क
समस्त निवासी – ग्राम कुरावर,
तहसील नरसिंहगढ़, जिला राजगढ़ .... प्रतिप्रार्थीगण

आज दिनांक 24/8/18 को श्री. नीरज श्रीवास्तव प्रस्तुत। 24/8/18

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू–राजस्व संहिता, 1959 विरूद्ध आदेश दिनांक 25.05.2018 , जो प्रकरण क्र. 49/अ–27/2016–17 में न्यायालय श्रीमान् नायब तहसीलदार महोदय, टप्पा कुरावर, तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ द्वारा पारित किया गया।

महोदय,

प्रार्थीगण की ओर से निम्नलिखित तथ्यों एवं विधिक आधारों पर यह निगरानी प्रस्तुत है :–

तथ्य

01. यह कि, प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रतिप्रार्थीगण ने एक आवेदन–पत्र अंतर्गत धारा 178 मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता, 1959 का प्रस्तुत किया, जो उक्त न्यायालय के प्रकरण क्र. 49/अ–27/2016–17 पर दर्ज किया जाकर उक्त प्रकरण में प्रार्थीगण को आहूत किया गया।

02. यह कि, प्रार्थीगण ने विचारण न्यायालय में उपस्थित होकर एक आवेदन–पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 व्यवहार प्रक्रिया संहिता का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि बंटवारा आवेदन–पत्र दुर्भावना पत्र असत्य आधारों पर वास्तविक तथ्यों को छिपाकर पेश किये जाने के कारण निरस्त किया जाये। प्रार्थीगण का उक्त आवेदन आलोच्य आदेश के द्वारा निरस्त कर दिया गया है, जिससे दुःखित एवं असंतुष्ट होकर श्रीमान् के समक्ष यह निगरानी निम्नलिखित आधारों पर प्रस्तुत की जा रही है।

निरंतर ....

नीरज श्रीवास्तव
एडवोकेट
25, हरि निवास "दुर्गा चौक"
तलैया, भोपाल

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश—ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग—अ

प्रकरण कमांक : निगरानी / राजगढ़ / भू.रा. / 2018 / 5240

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभि आदि के हस्ताक्ष
9-1-19	निगरानी की प्रचलनशीलता पर आवेदक के अभिभाषक को सुना जा चुका है। यह निगरानी नायव तहसीलदार टप्पा कुरावर तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ के प्र.क्र. 49 अ—27 / 16—17 में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 25—5—18के विरूद्व म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत हुई है। 2/ भू राजस्व संहिता, 1959 (नवीन संशोधित संहिता प्रभावी दिनांक 25—9—18) की धारा 50 में दी गई व्यवस्था के अनुरूप निगरानी राजस्व मण्डल में सुनवाई—योग्य नही रही है। नायव तहसीलदार व्दारा पारित अंतरिम आदेश के विरूद्व पीढ़ित पक्षकार को कलेक्टर राजगढ़ के समक्ष निगरानी प्रस्तुत करने का उपचार प्राप्त है। तद्नुसार आवेदक इस आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि लेकर सक्षम न्यायालय में कार्यवाही हेतु स्वतंत्र है। भू राजस्व संहिता, 1959 (नवीन संशोधित संहिता प्रभावी दिनांक 25—9—18) के अनुसार निगरानी सुनवाई योग्य न रहने से समाप्त की जाती है। सदस्य	